"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011—आषाढ़ 24, शक 1933

# भाग 3 (1)

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तोषराम रविन्द्र पिता श्री कोन्दाराम रविन्द्र, आयु-41 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 6/एच, सड़क नं. 15/बी., सेक्टर-2, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं तथा बी. एस. पी. भिलाई में वरिष्ठ लोको आपरेटर के पद पर पदस्थ हूं. यह कि मेरे कक्षा दसवीं, आई. टी. आई. की अंकसूची एवं कुछेक दस्तावेजों में भूलवश मेरा नाम तोषराम दिवाकर व तोषराम दर्ज हो गया है. जिसे सुधार कर सही नाम तोषराम रविन्द्र दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे तोषराम रविन्द्र पिता श्री कोन्दाराम रविन्द्र के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| तोषराम दिवाकर<br>पिता-श्री कोन्दाराम दिवाकर<br>निवासी-क्वा. नं. 6/एच, 15/बी.<br>सेक्टर-2, भिलाई नगर<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | तोषराम रविन्द्र<br>पिता-श्री कोन्दाराम रविन्द्र<br>निवासी-क्वा. नं. 6/एच. 15/बी.<br>सेक्टर-2, भिलाई नगर<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं. श्रीमती विनिता पटले पति श्री विनोद कुमार पटले, निवासी-डी-2, प. रविशंकर शुक्ल वि. वि. परिसर रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. संगीता बाई कृष्णकुमार पिता श्री कृष्णकुमार तुरकर था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 10-5-02 को विनोद कुमार पटले के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती विनिता पटले पति श्री विनोद कुमार पटले रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती विनिता पटले पति श्री विनोद कुमार पटले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कु. संगीता बाई कृष्णकुमार<br>पिता-श्री कृष्णकुमार तुरकर | श्रीमती विनिता पटले<br>पति-श्री विनोद कुमार पटले<br>निवासी-डी-2, पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. परिसर<br>रायपुर (छ. ग.) |

---

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2011

क्रमांक/परि./2011/1058.— जगदम्बा साख सहकारी समिति मर्यादित, रतनपुर पं. क्र. 197 दिनांक 04-02-2005 को श्री जी. पी. बिन्द, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड कोटा एवं परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें समिति के सदस्यों की बैठक 15-06-2011 को की गई है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी. तत्संबंध में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है. 01 से 03 बिन्दुओं में कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है. संस्था के सभी सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अत: सदस्यों के हित में परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) शासन विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी) दिनांक 26-07-99 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् जगदम्बा साख सहकारी समिति मर्यादित, रतनपुर पं. क्र. 197 दिनांक 04-02-2005 विकासखण्ड-कोटा, जिला-बिलासपुर, को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

**एन. कुजूर,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्यादित, लोरमी (छ. ग.)

लोरमी, दिनांक 13 जून 2011

क्रमांक/परि./क्यू/976/20/6/2011.— छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के उप नियम 57 (5) के तहत् यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल, परिसमापक को स.पे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

| क्र. | संस्था का नाम | पं. क्र. व दिनांक | विकासखण्ड | परिसमापक का नाम | स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विचारपुर | 3732 | लोरमी | एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लोरमी |
| 2. | --,,--,,-- साल्हेघोरी | 3725 | | | |
| 3. | --,,--,,-- चंदेली | 3155 | | | |
| 4. | --,,--,,-- मुछेल | 3727 | | | |

**एन. के. कश्यप,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.